



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 545) पटना, सोमवार, 28 जून 2021

सं० वि०प्रा०-व०-37/2004-1480
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

28 जून 2021

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना एक पूर्ण सरकारी संस्था है, जो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सीधे नियंत्रण में राज्य स्तरीय संगठन है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद का गठन आदेश संख्या-75/Dir दिनांक-31/05/1955 द्वारा किया गया है एवं इसका संचालन आदेश संख्या-463 दिनांक-07/11/1956 से किया जा रहा है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद का मुख्य कार्य परीक्षा का संचालन, सभी डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का संबद्धन एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना एवं डिप्लोमा प्रदान करना है। उपरोक्त कार्यों के संचालन हेतु पूर्व से ही माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्येक तीन वर्षों पर संकल्प के माध्यम से तीन वर्षों के लिए पर्षद का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नामित करते हुए पर्षद का अवधि विस्तार किया जाता रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार को पुनर्गठित करते हुए उसका अवधि विस्तार अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए किया जाता है।

तदनुसार पुनर्गठित पर्षद के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. विभागीय मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना | उपाध्यक्ष |
| 3. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, कानपुर के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. माननीय मंत्री सह-अध्यक्ष, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद द्वारा नामित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के दो नियमित प्राचार्य | सदस्य |
| 6. अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 7. अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 8. अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 9. राजकीय पोलिटेकनिक के वरीयतम प्राचार्य | सदस्य |
| 10. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि० द्वारा नामित मुख्य अभियंता | सदस्य |

- | | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 11. | सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना | सदस्य सचिव |
| उद्योग के प्रतिनिधि :- | | |
| 12. | बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 13. | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि | सदस्य |
| गैर सरकारी सदस्य :- | | |
| 14. | निदेशक, बी०आई०टी०, पटना | सदस्य |
| 15. | निदेशक, एन०आई०टी०, पटना अथवा उनके प्रतिनिधि | सदस्य |

(III) विभागीय संकल्प ज्ञापक-539 दिनांक-04/05/2005 में उल्लिखित पर्षद के कृत्य एवं शक्तियों यथावत् रहेंगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया जाय तथा 100 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
उप सचिव।

अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय

बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 545-571+120-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>